



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3974

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 46072 वर्ष 2025

गौस आलम आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभय मिश्रा

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री अभय मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री राजेश कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से तथा श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 394 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 238, 87 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद में, जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि यह सत्य है कि मृतक का शव आवेदक के इशारे पर बरामद हुआ था, किंतु उक्त बरामदगी असत्य है। उक्त बरामदगी से आवेदक का कोई भी संबंध नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृत्यु के कारण के संबंध में मौन है और विसेरा रिपोर्ट भी उसमें किसी विषैले पदार्थ की उपस्थिति के बारे में मौन है, अतः यह एक अंध हत्या का मामला है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक मृतक का परिचित था और उसके क्लिनिक पर गया था तथा वहाँ से चला गया था, किंतु उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 30.8.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि शव आवेदक के इशारे पर बरामद हुआ है और उसके पिता द्वारा पहचाना गया है, अतः यह एक स्पष्ट एवं सुनिश्चित मामला है क्योंकि आवेदक को समान आरोपों के साथ एफआईआर में नामजद किया गया था। जहाँ से शव बरामद हुआ वह कृषि क्षेत्र सूचनाकर्ता या पुलिस को ज्ञात नहीं था।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मृतक का शव आवेदक के इशारे पर बरामद हुआ था, मैं इसे आवेदक को जमानत देने का उचित मामला नहीं पाता।
8. जमानत आवेदन गुण-दोषहीन पाया जाता है और तदनुसार **अस्वीकार** किया जाता है।
9. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को, यदि कोई विधिक बाधा न हो, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में शीघ्रता से निर्णीत किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियाँ विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

विकास वर्मा